

प्रति

राजकीय शाखा
प्रमुख सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

551 / Dt. 06 Jun 2013

सेवा में

संभारत प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (बै0आ0-सा0नि0) जनु0-7

रेहसद्वन दिनांक 06 जून 2013

विषय: राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता की वाहन भत्ते की अनुमति।
महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन द्वारा समयक विचारोपरान्त लिये गये नियम के तहत में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी व्यय के हित में माध्यमालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-82 के अधीन तत्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता निम्नलिखित दर से अनुमति विज्ञापन की श्री राज्यपाल सहव स्वीकृति प्रदान करने हेतु।

वाहन का नाम	वर्तमान दर (रु०)	संशोधित दर (रु०)
मोटर साइकिल/स्कूटर	450	1200

2- उक्त भत्ते की अनुमति उपरोक्त यात्रा नियम-82 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा0-4-229/रस-2000-620-2030 दिनांक 10 मार्च 2000 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप-395/XXV(1)(7)/2009 दिनांक 24 दिसम्बर 2009 के अनुसार ही रहेगी और राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता पद के धारकों के संबंध में उक्त ज्ञाप दिनांक 24 दिसम्बर 2009 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

1-T
Upload - n
216
28.01.18
EF

प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन

